पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–01/13 302
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 30-3-14

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–18– चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग/ 4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना /18 – चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545	0.00

अतिरिक्त आवंटित राशि – शून्य मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध **रू० 550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यो के लिए किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

30/3/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 302 रॉची, दिनांक :– 30-3-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

30/3/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 302 रॉची, दिनांक :– 30-3-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(शिवानन्द राय) संयुक्त सचिव (अभि॰)	30/3/14 **(अविनाश कुमार)** **सचिव**

पत्रांक – 302 /रॉंची, दिनांक – 30-3-14 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष – 18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796180545
बजट उपबंध (वर्ष 2013–14) रू॰ 550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन					अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी	खूँटी	सोनाहातु	अनरिया नाला पर श्रंखलाबद्व चेकडैम निर्माण	14/26.07/12	627.000	2.00	319.00	0.00	26.00	26.00	345.00	
							योग	**319.00**	**0.00**	**26.00**	**26.00**	**345.00**	
उद्वह सिचांई योजना का निर्माण													
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची	राँची	कांके	जुमार नदीं पर सुकरहुटु ग्राम में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	28/30.11.12	48.840	32.34	16.00	0.00	4.00	4.00	20.00	
			नगर निगम	सुवर्ण रेखा नदी पर हेथु टोली उद्वह सिंचाई का निर्माण	27/30.11.12	53.505	14.63	10.00	0.00	6.00	6.00	16.00	
			ओरमांझी	खुदीया ग्राम में उ॰सि॰यो॰ का निर्माण	29/05.01.12	28.360	8.27	14.00	0.00	7.43	7.43	21.43	
							योग	**40.00**	**0.00**	**17.43**	**17.43**	**57.43**	

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796180545
बजट उपबंध्र (वर्ष 2013–14) रू॰ 550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र॰सं॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2013 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन					अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	राँची	सोनाहातु	माहुलडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	45.000	28.656	10.00	3.43	0.00	-3.43	6.57	
			सोनाहातु	मानकीडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	52.000	41.476	10.00	5.05	0.00	-5.05	4.95	
			राहे	डोकाड उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	30.890	18.002	10.00	8.12	0.00	-8.12	1.88	
			सोनाहातु	एडरमहातु उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	25.500	23.791	2.00	2.00	0.00	-2.00	0.00	
			सोनाहातु	गाराडीह उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	27.100	15.488	10.00	8.27	0.00	-8.27	1.73	
			सोनाहातु	ईचाहातु (उत्तर) उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	43 / 04.02.11	30.300	22.793	4.00	4.00	0.00	-4.00	0.00	
			राहे	सताकी ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15/26.06.11	26.378	4.337	5.00	5.00	0.00	-5.00	0.00	
			राहे	अम्बा झरिया माइक्रो उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	15/26.06.11	22.629	11.662	10.00	7.56	0.00	-7.56	2.44	
							योग	**61.00**	**43.43**	**0.00**	**-43.43**	**17.57**	
							सकल योग	**420.00**	**43.43**	**43.43**	**0.00**	**420.00**	

अतिरिक्त आवंटित राशि – शून्य मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

302
30-3-14

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव